(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 558–एक/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–1–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर निगरानी प्रकरण कमांक 76/2001–02.

शंकरलाल पिता रामचन्द्र राठौर
निवासी तेजाजी मन्दिर के ओटले के सामने
देपालपुर जिला इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– गोपाल पिता मांगीलाल विजयवर्गीय
2– राधेश्याम पिता मांगीलाल
3– पवन पिता मांगीलाल
4– माणकबाई बेवा मांगीलाल
निवासीगण कस्बा देपालपुर
जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11/10/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–1–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत तहसीलदार, देपालपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कस्बा देपालपुर स्थित सर्वे कमांक 636, 637 व 638 उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिस पर आने–जाने हेतु रूढ़िगत रास्ता था, जिसे आवेदक द्वारा पक्की गुमटी बनाकर अवरूद्ध कर दिया गया है । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अन्तरिम

रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–3–2003 को अन्तरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27–3–2003 को आदेश पारित कर यद्यपि निगरानी निरस्त की गई, परन्तु संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण–दोष पर निराकरण करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–1–2005 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और अनावेदक का कभी भी प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा नहीं रहा है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक के पिता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त हुआ है, और उसकी अपील भी माननीय उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुकी है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण कृषक नहीं होकर व्यापारी लोग हैं और उनके पास कोई कृषि उपकरण है ही नहीं, फिर भी उनके द्वारा रास्ते की मांग की जा रही है

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत रास्ते के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उनके द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश तहसीलदार को देने में विधि की गम्भीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा अन्तरिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है और आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रकरण लम्बित करने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि लगभग

5 वर्ष से यह निगरानी केवल अन्तरिम आदेश के विरूद्ध लम्बित है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने के अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में मात्र अन्तरिम आदेश पारित कर अन्तरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, विरूद्ध यह तीसरी निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अन्तरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तीन माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–1–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर